

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर धार जिले में इन्दौर-दाहोद न्यू रेल्वे लाईन के भूमिगत टनल निर्माण हेतु 0.25 हेक्टेयर वन भूमि पश्चिम रेल्वे, इन्दौर को उपयोग पर देने बाबत निम्न शर्तों के अधीन अनुशंसा की जाती है:- 1. इस कार्य से वनक्षेत्र एवं वन्य प्राणियों पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों को दूर करने के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाहियाँ की जावेगी और कृत कार्यवाही से माननीय वन मंत्रीजी के कार्यालय को अवगत कराया जाएगा। 2. अन्य सभी लागू अधिनियमों तथा नियमों का अक्षरशः पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
----	---	----	---

दिनांक: 06.03.2020

स्थान: भोपाल



(एच.एस. मोहन्ता)

सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग
(एच.एस. मोहन्ता)

सचिव,

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा) मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या